न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 05/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. हेमराज पुत्र पबडी
2. महेश पुत्र रामसिंह
3. राकेश पुत्र पबडीराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी जस्सापाडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 11.03.2005 बहक मानसिंह बाबत भूमि खसरा नं. 930 रकबा 0.19 है.)

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णयः–   दिनांकः 04.03.2020

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 11.03.2005 को ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 930 रकबा 0.19 है. का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 मानसिंह पुत्र रामहेत को विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत आवंटन किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन कमेटी का उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.03.2005 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह भूमि आवंटन योग्य ही नहीं थी। वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक तक प्रार्थीगण का ही कब्जा है। जिस पर खाम घर बने हुए है, बाडा बना हुआ है। जिनका उपयोग प्रार्थीगण आज दिनांक तक करते आ रहे है। आवंटन शुदा भूमि पर कभी भी अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा नहीं रहा है ना ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। आवंटन की पहली शर्त यह है कि आवंटन के एक वर्ष तक तो आधी भूमि व एक वर्ष बाद पूरी भूमि का उपयोग उपभोग आवंटी द्वारा किया जाना आवश्यक है, परन्तु आवंटी ने इन शर्तो की कोई पालना नहीं की है।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आवंटी के नोशनल शेयर से 0.50 है. भूमि आती है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन भी नहीं है। कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को ही आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थी आवंटन का पात्र ही नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 को आवंटन के बाद कब्जा भी नहीं दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स स्वीकार फरमाकर आवंटन आदेश दिनांक 11.03.2005 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब बहस के दौरान तर्क दिया कि आवंटित भूमि खसरा नं. 930 रकबा 0.19 है. ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा पर आवंटन के समय से ही मेरा कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन भी असत्य है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है। मुझे उक्त भूमि का आवंटन विधिवत रूप से उद्घोषणा के बाद मजमे आम में किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि आवंटी के नोशनल शेयर से 0.50 भूमि आती है यदि ऐसा है तो उक्त भूमि के सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे जबकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने काबिल नही है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी को आवंटन विधिवत रूप से मजमे आम में हुआ। प्रार्थी का कथन है कि आवंटी के पास नोशनल शेयर से 0.50 है. भूमि है जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है किन्तु प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 11.03.2005 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अ0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा